नकल न0 196

नकल आदेश 29/5/14

न्यायालय परगनाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)

वाद संख्या 13 /2014 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

ज्ञान एजूकेशन सोसायटी ए–100 सैक्टर नौएडा बनाम सरकार

ग्राम–खिलवाई

नकल निर्णय 29/5/14

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही ज्ञान एजूकेशन सोसायटी ए–100 सैक्टर नौएडा जिला गोतमबुद्वनगर उ0प्र0 द्वारा अध्यक्ष शिवकुमार पुत्र शिवकुमार पुत्र शिशुपाल नि0 10बी. 70 बी ब्लाक अखाडे वाली गली मन्दिर मार्ग मौजपुर दिल्ली व जनरल महामंत्री पुनीत कुमार पुत्र ज्ञानेश्वर गोयल निवासी डी 147सैक्टर 40 जिला गौतमबुद्वनगर उ0प्र0 व कोषाध्यक्ष सरवर चौधरी पुत्र मतीन अहमद निवासी 53/9 गली न 6 चौहान बांगर सीलमपुर दिल्ली –53 के वादपत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया गया है कि स्थित ग्राम खिलवाई के प्रश्नगत खाता 65 खसरा नम्बर 297मि0 रकबा 0.0230 है0, 300मि0/0.0230है0 खाता संख्या 543 रकबा 293/0.0110,292/0.0390है0,295/0.0040,296/0.0040,294/0.0040 है0 कुल नम्बरान 5 कुल रकबा 0.0620 है0 संकमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। उक्त भूमि को वादीगण बतौर आवादी के रूप में प्रयोग करने के कारण उक्त भूमि का लगान समाप्त करके न्यायालय की घोषणात्मक डिग्री द्वारा कृषि भूमि परिवर्तन करते हुए आवादी में घोषित किया जाना आवश्यक है। अंत मे उक्त खसरा नम्बरानों को आवादी प्रयोजन की भूमि होने के कारण तथा स्थल पर खेती न होने के कारण स्थल की परिस्थितियों को देखते हुये कृषि भूमि की श्रेणी से निरस्त कर आबादी श्रेणी मे दर्ज किये जाने हेतु स्थल आख्या मंगाई जाकर स्थल के अनुसार आबादी दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

इस वादपत्र पर तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर से जॉचोपरान्त आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर द्वारा राजस्व निरीक्षक से जॉचोपरान्त अपनी आख्या में अवगत कराया गया। स्थित ग्राम खिलवाई के प्रश्नगत खाता 65 खसरा नम्बर 297मि0 रकबा 0.0230 है0, 300मि0/0.0230है0 खाता संख्या 543 रकबा 293/0.0110,292/0.0390है0,295/0.0040,296/0.0040,294/0.0040 है0 कुल नम्बरान 5 कुल रकबा 0.0620 है0 संकमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। मौके पर कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा सभी स्थलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। उपरोक्त भूमि को अकृषिक उपयोग में लाई जा रही है। ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखा एवं तहसीलदार गढमुक्तेश्वर की आख्या का भी अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से विदित है कि स्थित ग्राम खिलवाई के प्रश्नगत खाता 65 खसरा नम्बर 297मि0 रकबा 0.0230 है0, 300मि0/0.0230है0 खाता संख्या 543 रकबा 293/0.0110,292/0.0390है0,295/0.0040,296/0.0040,294/0.0040 है0 कुल नम्बरान 5 कुल रकबा 0.0620 है0 संकमणीय भूमिधर मालिक व काविज है। मौके पर कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा विवादित भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। उपरोक्त भूमि को अकृषिक उपयोग में लाई जा रही है। ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। अतः तहसीलदार गढमुकतेश्वर की आख्या से सहमत होते हुये उक्त खसरा नम्बरानों को अकृषक घोषित किये जान में कोई विधिक अडचने नही है। अतः आदेश पारित किये जाते है:–

आदेश

अतः स्थित स्थित ग्राम खिलवाई के प्रश्नगत खाता 65 खसरा नम्बर 297मि0 रकबा 0.0230 है0, 300मि0/0.0230है0 खाता संख्या 543 रकबा 293/0.0110,292/0.0390है0,295/0.0040,296/0.0040,294/0.0040 है0 कुल नम्बरान 5 कुल रकबा 0.0620 है0 को अकृषक घोषित किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरांत ही करेगे। तदनुसार माल अभिलेखों मे अमलदारामद हेतु एक प्रति तहसीलदार गढमुक्तेश्वर एवं एक प्रति उपनिवन्धक गढमुक्तेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवें।

दिनांक: 29–05–2014.

(शमशाद हुसैन)
परगनाधिकारी, गढमुक्तेश्वर।

सत्य प्रतिलिपि
न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट

नकल हवाले स० 118
शब्द स(91) 300
3476

न्यायालय उपजिलाधिकारी गढमुक्तेश्वर (हापुड)

वाद संख्या टी 2017-780 अन्तर्गत धारा 80राजस्व संहिता

ज्ञान एजूकेशन सोसाइटी बनाम सरकार

ग्राम खिलवाई

नकल **निर्णय** 15-4-2017

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही ज्ञान एजूकेशन सोसाइटी द्वारा पुनीत कुमार पुत्र ज्ञानेश्वर गोयल नोएडा गौतमबुद्वनगर के प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज रजि0 कर प्रारम्भ की गयी। वादी का कथन है कि स्थित ग्राम खिलवाई के प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 582 गाटा संख्या 289 रकबा 0.0850 है0व खाता संख्या 581 के गाटा संख्या 290 रकबा 0.1580 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.2430 है0 भूमि बजरिये बैनामा कय की थी जिसमें प्रार्थी द्वारा शिक्षण संस्था का निर्माण किया जा रहा है तथा उसमे कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। जिस कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि को अकृषिक भूमि दर्ज कराना चाहते हैं। अतः में खाता संख्या 582 गाटा संख्या 289 रकबा 0.0850 है0व खाता संख्या 581 के गाटा संख्या 290 रकबा 0.1580 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.2430 है0 भूमि को राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

इस वादपत्र पर नायब तहसीलदार से जॉचोपरान्त आख्या प्राप्त की गयी। नायब तहसीलदार द्वारा जॉचोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 01-04-2017 के माध्यम से अवगत कराया गया कि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के प्रश्नगत खाता संख्या 582 गाटा संख्या 289 रकबा 0.0850 है0व खाता संख्या 581 के गाटा संख्या 290 रकबा 0.1580 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.2430 है0 भूमि के सहखातेदार मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। भूमि को अकृषिक के प्रयोग में लाया जा रहा है। भूमि में कोई कृषि कार्य नही हो रहा है। मौके पर चाहरदीवारी बनी है। मौके पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि अथवा कृषि कार्य नही हो रहा है। उक्त गाटा संख्या को राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखा एवं नायब तहसीलदार की आख्या का भी अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं नायब तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। भूमि मौके पर अकृषिक है तथा चाहरदीवारी बनी है। मौके पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन अथवा कृषि कार्य नही हो रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की है। नायब तहसीलदार गढमुक्तेश्वर की आख्या से सहमत होते हुये प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश पारित किये जाते है।

आदेश

ग्राम स्थित ग्राम खिलवाई के खाता संख्या 582 गाटा संख्या 289 रकबा 0.0850 है0व खाता संख्या 581 के गाटा संख्या 290 रकबा 0.1580 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.2430 है0 भूमि मे अकृषिक घोषित किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराये जाने के उपरांत ही करेगे। तदनुसार एक प्रति तहसीलदार गढमुक्तेश्वर एवं एक प्रति उपनिबन्धक गढमुक्तेश्वर को अनुपालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवें।

दिनांक 15-04-2017

नकल नं० 118 शब्द सं० 300
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 25/4/2017
2/5/2017
2/5/2017
2/5/2017
7-

15/4
(आर0एन0 पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी गढमुक्तेश्वर।

सत्य प्रतिलिपि
2/5/2017
कार्यालय परगनाधिकारी मजिस्ट्रेट

न्यायालय	परगनाधिकारी	गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)
वाद संख्या 18/13–14		अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
इण्डियन इन्स्टीटयूट ऑफ एक्सीलैन्स	बनाम	सरकार
		ग्राम–दौताई

निर्णय

वादी को संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 16–1–2015 पर सुना गया। वादी का कथन है कि वाद उपरोक्त में न्यायालय के आदेश दिनांक 30–7–014 के द्वारा प्रार्थी को अकृषक भूमि घोषित किया गया था। पारित आदेश म टंकण की गलती की गलती से प्रार्थी के खाता संख्या न0 1112 का खसरा न0 281 के स्थान पर खसरा संख्या 581 टाईप हो गया है। उक्त गलती एक टंकण गलती है जिसका ज्ञान प्रार्थी को खतौनी की नकल लेने पर सर्वप्रथम हुआ है। खाता संख्या 1112 में केवल ख0न0 281 का उल्लेख है तथा सभी रिपोर्ट खाता संख्या 1112 के खसरा संख्या 281 के सन्दर्भ में ही न्यायालय में आई थी। अंत में वाद उपरोक्त में पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 में टंकण गलती में हुए टाईप ख0न0 581 पर सही खसरा सख्या 281 दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखा एवं तहसीलदार गढमुक्तेश्वर की आख्या का भी अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से विदित है कि पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 में स्थित ग्राम दौताई के खाता संख्या 1112 खसरा नम्बर 281 के स्थान पर 581 अंकित हो गया है,जो एक लिपिक त्रुटि है जिससे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः पूर्व पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 में आंशिक रूप से संशोधित करते हुये स्थित ग्राम दौताई के प्रश्नगत खसरा संख्या 581 के स्थान पर 281 दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

संशोधित आदेश

अतः स्थित ग्राम दौताई के खाता संख्या 1112 खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820 है 0 में से 0. 2530 है0 को अकृषक घोषित किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है किवह मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नियमानुसार मानचित्र स्वीकत कराये जाने के उपरान्त ही करेंगे । तदनुसार माल अभिलेखों की दुरूस्ती एक प्रति तहसीलदार गढमुक्तेश्वर एवं एक प्रति उपनिबन्धक गढमुक्तेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवें।

दिनांकः 11–02–2015

(एस0पी0 सिंह)
परगनाधिकारी, गढमुक्तेश्वर।

सत्य प्रतिलिपि

नकल 65

अहि 45

नकल आदेश दिनांक 11-2-2015

न्यायालय परगनाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)
वाद संख्या 19 / 13—14 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ज्ञान एज्यूकेशन सोसायटी ए0—10 बनाम सरकार
ग्राम दौताई

नकल निर्णय दिनांक 11-2-2015

वादी को संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 16-1--2015 पर सुना गया। वादी का कथन है कि वाद उपरोक्त में न्यायालय के आदेश दिनांक 30—7—014 के द्वारा प्रार्थी को अकृषक भूमि घोषित किया गया था। पारित आदेश म टंकण की गलती की गलती से प्रार्थी के खाता संख्या न0 1112 का खसरा न0 281 के स्थान पर खसरा संख्या 581 टाईप हो गया है। उक्त गलती एक टंकण गलती है जिसका ज्ञान प्रार्थी को खतौनी की नकल लेने पर सर्वप्रथम हुआ है। खाता संख्या 1112 में केवल ख0न0 281 का उल्लेख है तथा सभी रिपोर्ट खाता संख्या 1112 के खसरा संख्या 281 के सन्दर्भ में ही न्यायालय में आई थी। अंत में वाद उपरोक्त में पारित आदेश दिनांक 30--7--2014 में टंकण गलती में हुए टाईप ख0न0 581 पर सही खसरा संख्या 281 दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखा एवं तहसीलदार गढमुक्तेश्वर की आख्या का भी अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से विदित है कि पूर्व पारित आदेश दिनांक 30—7—2014 में स्थित ग्राम दौताई के खाता संख्या 1112 खसरा नम्बर 281 के स्थान पर 581 अंकित हो गया है,जो एक लिपिक त्रुटि है जिससे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः पूर्व पारित आदेश दिनांक 30—7—2014 में आंशिक रूप से संशोधित करते हुये स्थित ग्राम दौताई के प्रश्नगत खसरा संख्या 581 के स्थान पर 281 दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

संशोधित आदेश

अतः स्थित ग्राम दौताई के खाता संख्या 1112 खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820 है0 में से 0.33732है0 को अकृषक घोषित किया जाता है। वादी को निदेशित किया जाता है कि वह मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नियमानुसार मानचित्र स्वीकत कराये जाने के उपरान्त ही करेंगे । तदनुसार माल अभिलेखों की दुरूस्ती एक प्रति तहसीलदार गढमुक्तेश्वर एवं एक प्रति उपनिबन्धक गढ़मुक्तेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवें।

दिनांक: 11—02—2015

(हस्ताक्षर) 11/2/15
(एस0पी0 सिंह)
परगनाधिकारी, गढमुक्तेश्वर।

65 ... 45
16/2/15
18/2/15
18/2/15
18/2/15
18/2/15

सत्य प्रतिलिपि
न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट
गढ़मुक्तेश्वर

न्यायालय उपजिलाधिकारी गढमुक्तेश्वर(हापुड)
वाद संख्या टी 2018–11730501546 अ0धारा 80उ0प्र0 राजस्व संहिता .
ज्ञान एजुकेशन सोसायटी बनाम सरकार
ग्राम दौताई

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही ज्ञान एजूकेशन सोसायटी ग्राम दौताई के प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज रजिस्टर का प्रारम्भ की गयी। सोसायटी का कथन है स्थित ग्राम दौताई के प्रश्नगत खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820है0 में से 0.6747 है0 का संक्रमणीय भूमिधार मालिक काबिज है। उक्त खसरा संख्या में सोसायटी द्वारा संस्था का शिक्षण कार्य हेतु निर्माण कराया जा रहा है। उक्त खसरा नम्बर आबादी के प्रयोग में लाया जा रहा है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गढमुक्तेश्वर से जॉचोरान्त आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार गढमुक्तेश्वर द्वारा अपनी आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि स्थित ग्राम दौताई के प्रश्नगत खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820है0 में से 0.6747 है0 का संक्रमणीय भूमिधार मालिक काबिज है।प्रश्नगत क्षेत्रफल 0.6747 है0 पर चाहरदिवारी लेवर क्वाटर एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्रफल में बागवानी सें सम्बन्धित मत्स्य पालन,कुक्कट पालन, पशुपालन आदि कार्य नही हो रहा है बल्कि मौके पर उक्त भूमि अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

मैने पत्रावली का सम्यक अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो को देखा एवं तहसीलदार गढमुक्तेश्वर की आख्या का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थित ग्राम दौताई के प्रश्नगत खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820है0 में से 0.6747 है0 का संक्रमणीय भूमिधार मालिक काबिज है।प्रश्नगत क्षेत्रफल 0.6747 है0 पर चाहरदिवारी लेवर क्वाटर एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस क्षेत्रफल में बागवानी से सम्बन्धित मत्स्य पालन,कुक्कट पालन, पशुपालन आदि कार्य नही हो रहा है बल्कि मौके पर उक्त भूमि अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। अतः निम्न आदेश पारित किये जाते है:–

आदेश

अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्थित ग्राम दौताई के प्रश्नगत खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820है0 में से 0.6747 है0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार गढमुक्तेश्वर की आख्या आदेश का अभिन्न अंग रहेगे। यदि प्रश्नगत आदेश महायोजना को प्रभावित करता है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोग के विरूद्व पाया जाता है,तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। उक्त वर्णित स्थित ग्राम दौताई के खसरा संख्या 281 रकबा 5.6820है0 में से 0.6747 है0 स्थित ग्राम दौताई परगना व तहसील गढमुक्तेश्वर जिला हापुड पर कोई भी निर्माण कार्य हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण की महायोजना के संगत नियम/विनियम/प्राविधान के अनुसार तथा महायोजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग के अनुसार अनुमन्य है। प्राधिकरंण की महायोजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग के विरूद्व किया गया कोई भी निर्माण कार्य विधि विरूद्व होगा। जिसे नियमानुसार ध्वस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक गढमुक्तेश्वर एंव तहसीलदार गढमुक्तेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक 07–05–2018

07/5/2018

(हनुमान प्रसाद)
उपजिलाधिकारी गढमुक्तेश्वर।